

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर०ए०एस०अति० सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्या: 162/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 14.09.2020
अन्तर्गत धारा: 76 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

राजमल आत्मज स्व० श्री राम गोपाल जी जाति किराड़ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद
जिला कोटा

...अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहु जी धर्मपत्नी श्री बृज रमणलाल जी महाराज, निवासी छोटे मदन मोहन जी की हवेली, बंगाली घाट, मथुरा
2. ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

...रेस्पो०



उपस्थित :

श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक —अपीलांत
पेरोकार सरकार रेस्पो० क्र. 3

::निर्णयः

दिनांक 27.02.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 07/2012 मूर्ति मंदिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहुजी बनाम राजमल वगै० में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो० क्र 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत कुराडियाखुर्द के इन्तकाल संख्या 377 आदेश 12.05.2011 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 377 दिनांक 12.05.2021 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 18.02.2020 पारित किया गया तथा तहसीलदार सांगोद को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

27/2/2025
कोटा

- 2 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 07/2012 मूर्ति मंदिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जयें अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहुजी बनाम राजमल वगै० में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा के सर्वथा विपरीत है। विचारण न्यायालय ने ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर मिन 308 (उत्तर पूर्व) की 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से विक्रेता का संपूर्ण 1/4 निहित हिस्सा जिसके नये खसरा नम्बर 814 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 रकबा 3.11 जुमला 2 किता की 3.26 है० कायम हुआ है, का 1/4 हिस्से का बाबत नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण को खारिज फरमाकर प्रकरण तहसीलदार सांगोद को (रिमाण्ड) प्रतिप्रेषित फरमाने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि अपील विषयक आराजियात रेस्पो० नं० 1 मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महा प्रभु जी विराजमान कोटा के खाते में दर्ज नहीं थी। रेस्पो० नं० 1 नामान्तरकरण जेर अपील से व्यथित पक्षकार (एग्रीड परसन) नहीं थे तथा उन्हे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार धारा 96 सीपीसी के तहत प्रा०पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत हक घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.4.2011 को खारिज फरमा दिया गया था। जिसकी रेस्पो० नं० 1 को एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय को भी जानकारी थी। इसके उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमा कर अपीलान्त के पक्ष में किये गये नामान्तरकरण सं० 377 दिनांक 12.5.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद को खारिज फरमाने में त्रुटि की है। पूर्व खातेदारान विक्रेता तुलसी बाई पुत्री श्री मदन जाति माली निवासी कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ने दिनांक 20.10.2001 को अपीलान्त से विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि 1,50,000/- रुपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये प्राप्त कर अपीलान्त को उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 308 मिन (उत्तर पूर्व की) 20 बीघा 3 बिस्वा में से संपूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान कर उपरोक्त भूमि पर क्रेता अपीलान्त को कब्जा सम्भला दिया था। वक्त खरीद से ही अपीलान्त उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है व वर्तमान में भी काबिज है। वर्तमान सेटलमेन्ट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 814 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 रकबा 3.11 हेक्टर का 1/2 हिस्सा अर्थात् 3.26 हेक्टर का विक्रेतागण का सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा कायम हुआ है। उपरोक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्त के खाते दर्ज हो चुकी है। रेस्पो० नं० 1 ने अपीलान्त के विरुद्ध उपरोक्त भूमि के पंजीकृत विक्रय पत्र को अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने का दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त वाद की अग्रिम कार्यवाही धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्थगित की गई थी, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपीलान्त के पक्ष में निष्पादित उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र वर्तमान में भी प्रभावशील है। रेस्पो० नं० 1 मूर्ति मन्दिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत

mty
 श्री. राजेश कुमार
 कोटा

एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है अतः श्रीमती रेणुका बहुजी को मन्दिर की ओर से अपील करने का कोई अधिकार नहीं था इस आधार पर श्रीमती रेणुका बहुजी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य थी। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार फरमा कर हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाधित थी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी (डिले) को कन्डोन किये बिना ही मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो० नं० 1 द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णित फरमाकर स्वीकार फरमाने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट (प्रथम अपीलीय न्यायालय के रेस्पो० नं० 1) की अनुपस्थिती में उनकी बहस सुने बिना ही पारित किया है। दिनांक 22.3.2020 से कोविड-19 के कारण लॉक डाउन रहने से अपीलान्ट अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका था। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकार दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत सर्वप्रथम जानकारी होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 22.7.2020 को हुक्म जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये उसी दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को दिनांक 30.7.2020 को प्राप्त हुई, हुक्म जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी की तारीख 22.7.2020 से हुक्म जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया नामांतरकरण सं० 377 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा को यथावत कायम रखा जावे।

- 3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। रेस्पो० 1 की तलबी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील में रेस्पो० 1 के द्वारा अंकित किये गये पते पर ही रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 18.07.2024 को जारी किये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर तामील पूर्ण मानते हुए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।
- 4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त विरुद्ध है। नामांतरकरण सं० 377 रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर खोला गया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को चैलेंज नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का प्रथम स्तर पर मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। मियाद के बिन्दु पर निर्णय किये बिना गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

mitu
22/7/2025
अप

पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित तथा विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। दिनांक 22.3.2020 से कोविड-19 के कारण अपील इस न्यायालय में पेश करने में विलम्ब हुआ है। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया नामांतरकरण सं० 377 दिनांक 12.05.2011 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा को यथावत कायम रखा जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ (22) 2015 Page No. 486, 2024(2) DNJ [Rev] Page No. 1250, SCI SUO Motu Writ Petition 3 OF 2020 10.01.2022 पेश किये।

- 5 प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षकारान को सुना जाना उचित प्रकट होता है। अपीलांट का अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र धारा 5 के साथ अपील पेश कर कथन किया गया है कि दिनांक 22.3.2020 से कोविड-19 के कारण अपील इस न्यायालय में पेश करने में विलम्ब हुआ है। लॉक डाउन हटने के बाद दिनांक 22.7.2020 को अपीलान्ट अपने अभिभाषक के पास उक्त अपील की तारीख मालूम करने गया तो न्यायालय से मालूमात कर बतलाया कि उक्त अपील दिनांक 18.2.2020 को स्वीकार कर ली गई थी। दिनांक 22.7.2020 से पूर्व अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। इस संबंध में अपीलांट की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांत SCI SUO Motu Writ Petition 3 OF 2020 10.01.2022 अनुसार स्पष्ट किया गया है कि *"In cases where the limation would have expired during the period between 15.03.2020 till 28.02.2022, notwithstanding the actual balance period of limitation remaining, all persons shall have a limitation period of 90 days from 01.03.2022 is greater than 90 days, that longer period shall apply"*

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील प्रकरण का अपील में विलम्ब का क्षम्य किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक प्रकट होता है।

- 6 प्रस्तुत प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 2012 में अपील प्रस्तुत की गयी, जो असाधारण विलम्ब प्रकट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता का अभिभाषक-पत्र प्रस्तुत होने से प्रकट होता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अतः सुनवाई नहीं होने का बिन्दु सहीं नहीं पाया जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। यदि अपीलांट को कोई आपत्ति हो तो तहसीलदार, सांगोद के समक्ष अपना पक्ष रखे ताकि तहसीलदार द्वारा सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का

मि. अ. अ. 2025
 22.7.2025
 कोटा

निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद द्वारा प्रकरण सं० 07/2012 मूर्ति मंदिर श्री छोटे महाप्रभु जी विराजमान कोटा जयें अध्यक्ष श्रीमती गोस्वामिनी रेणुका बहुजी बनाम राजमल वगै० में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

- 7 निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/2/2025
(ममता कुमारी तिवारी)
अति०संभागीय आयुक्त
कोटा